Regarding refund of money to investors who invested in various schemes of Sahara Company-laid

श्री सुदामा प्रसाद **(**आरा**) :** देश की लगभग 11 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय जनता ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा किया था । 11 करोड़ निवेशकों ने अपना पेट काट-काटकर अपने बेटे-बेटियों की शादी, पढ़ाई-लिखाई और उनके भविष्य के लिए पैसा जमा किया था, जिसे वापस करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया था, किन्तु उस आदेश के 13 साल बाद भी उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला है । वे आज भी अपने पैसे की आस लगाए बैठे हैं जबकि उनमें से 3970 (तीन हजार नौ सौ सत्तर) निवेशकों और 65 अभिकर्त्ताओं की मौत हो गई है । देश के गृह मंत्री ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

अतः मैं सभी निवेशकों का पैसा अविलम्ब ब्याज सहित एक वर्ष अन्दर वापस दिलाने के साथ- साथ मृतकों के परिजनों को अतिरिक्त 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की पुरजोर मांग करता हूँ ।